न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 74/2021

उनवान

1. मुन्नी पत्नी कैलाश चन्द
2. विनोद पुत्र कैलाश चन्द जाति ब्राहमण निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादी :– जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

–: निर्णय :–   दिनांक :– २२.५.२२

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तिहारी कर निम्न आराजी वादीगण की आवंटनशुदा खातेदारी की है :–

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
3958	14–13–0	6253	2.37
		6253/6659	0.56

ग्राम तिहारी के वंर्किग खसरा नम्बर 3958/2 रकबा 4–17–0 की आराजी वादीगण के पति/पिता कैलाशचन्द पुत्र मोहनलाल को दिनांक 23.06.1985 को आवंटन की गयी। उक्त आवंटन का वंर्किग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 784 दिनांक 21.05.1987 से गैर खातेदारी तथा नामा. संख्या 284 दिनांक 17.06.1992 से खातेदारी दी गयी। आवंटन दिनांक से वादीगण आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त चले आ रहे है। 3958/2 रकबा 4–17–0 के हाल खसरा नम्बर 6253/5659 रकबा 0.56 में वादीगण का 1/16 हिस्सा नियमानुसार खातेदार दर्ज किया गया। किन्तु हाल खसरा नम्बर 6253 रकबा 2.37 में से रकबा 4–10–0 को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया गया। अतः हाल खसरा नम्बर 6253 रकबा 2.37 में से रकबा 4–10–0 का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग खसरा नम्बर 3958/2 रकबा 4–17–0 नामान्तकरण संख्या 784 दिनांक 21.05.1987 कैलाश चन्द पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण के नाम गैर खातेदार दर्ज किया गया। नामान्तकरण संख्या 284 दिनांक 17.06.1992 से उक्त आराजी पर खातेदार प्रदान की गयी। वंर्किग खसरा नम्बर 3958 के हाल खसरा नम्बर 6253/2.37 व 6253/6659 रकबा 0.56 बने है। हाल खसरा नम्बर 6253/6659 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:35:35 IST
Reason: SelfAttested

––2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

में कैलाशचन्द के वारिस मुन्नी देवी के नाम 1/8 हिस्सा दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 6253 ा 2.37 वर्तमान में सिवायचक दर्ज है। आराजी मुतनाजा सिवासयचक होने से वादी को किया जाना उचित है। वादीगण द्वारा धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस नही दिया गया भूमि सिवायचक होने से वाद खारिज योग्य है।

करण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा वादीगण के पूर्वज को विधिवत आवंटित हुयी थी ?

—— वादीगण

2. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

—— वादीगण

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में मुन्नी पत्नी कैलाशचन्द के बयान दर्ज करवाये राजस्व अभिलेख व आवंटन आदेश पेश किया।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे एवं साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 व 2 :–

वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम तिहारी के वंर्किग खसरा नम्बर 3958 रकबा 14–13–0 सिवायचक दर्ज थे। उक्त आराजी में से 4–17–0 आराजी वादीगण के पति/पिता कैलाश चन्द पुत्र मोहनलाल को कैम्प ग्राम पंचायत तिहारी में दिनांक 23.06.85 को आवंटित हुयी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवंटन दस्तावेज मे क्रम संख्या 10 पर वादीगण के पति/पिता का नाम दर्ज है। जिससे आवंटन के तथ्यों की पुष्टि होती है। उक्त आवंटन आदेश की पालना में नामान्तकरण संख्या 784 दिनांक 21.5.1987 द्वारा गैर खातेदारी तथा नामान्तकरण संख्या 284 दिनांक 17.06.1992 से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। उक्त दोनो नामान्तकरण का अमल दरामद तत्कालीन वंर्किग जमाबंदी में भी वादीगण के पति/पिता के नाम किया गया। जिसकी ताईद वादीगण द्वारा प्रस्तुत वंर्किग जमाबंदी तथा नामान्तकरण से होती है। इसी प्रकार वंर्किग खसरा नम्बर 3958 रकबा 3–14–0 वंर्किग जमाबंदी में वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी में दर्ज था। जिसके हाल खसरा नम्बर 6253/6659 रकबा 0.56 पूर्व अनुसार खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज विधिवत है। किन्तु वंर्किग खसरा नम्बर 3958 रकबा 14–13 के हाल खसरा नम्बर 6253 रकबा 2.37 को सिवायचक दर्ज कर दिया है। जबकि उक्त आराजी में 4–17–0 भूमि पूर्व राजस्व अभिलेख वंर्किग जमाबंदी अनुसार वादीगण/पूर्वज के नाम खातेदारी दर्ज करनी चाहिये थी। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही था। वादीगण के पति/पिता को उक्त आराजी विशेष राजस्व अभियान में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश से आवंटित की गयी थी। जिसकी राजस्व अभिलेख में नियमानुसार पालना की गयी। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में यह स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में किस कारण से वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज नही की गयी। वादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज होने के कारण वादी का वाद खारिज नही किया जा सकता है जो उसके द्वारा उक्त आराजी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:35:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

न व तत्कालीन राजस्व अभिलेख में की गयी पालना के समस्त वांछित दस्तावेज न्यायालय
ा किये है। पत्रावली में ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नही है जिससे बंदोबस्त विभाग ने उक्त
ी वादीगण की खातेदारी में से हटायी है। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण
होता है। वादीगण हाल खसरा नम्बर 6253 रकबा 2.37 में से 0.776 आराजी पर खातेदारी
प्त के अधिकारी है। तनकी संख्या 1 व 2 बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम तिहारी की आराजी मुतनाजा पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को ग्राम तिहारी के हाल खसरा नम्बर 6253 रकबा 2.37 में से 0.776 का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 22/5/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:35:35 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

मुन्नी बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955, 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 74 / 2021

पेश करने की दिनांक – 13.07.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम तिहारी की आराजी मुतनाजा पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को ग्राम तिहारी के हाल खसरा नम्बर 6253 रकबा 2.37 में से 0.776 का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज २२ माह अप्रेल सन् 2022 को जारी की गयी।

मुद्दई

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बावत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मुदायला

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:35:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद